विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना आदर्श रूपरेखा–
राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)

खंड 1 : प्रस्तावना :

क. विद्यालय का विवरण *{अनुबंध–I में संलग्न आरूप (फार्मेट)}*।
ख. योजना का लक्ष्य तथा उद्देश्य।
ग. विद्यालय की भौगोलिक अवस्थिति।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

- योजना के इस खंड में अनुबंध–I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विद्यालय से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें योजना के उद्देश्य, हितधारक जो इस योजना का उपयोग करेंगे और सदस्य जो योजना के क्रियान्वयन समीक्षा तथा अद्यतन के लिए उत्तरदायी होंगे, का भी उल्लेख होना चाहिए।
- इस खंड में विद्यालय का मानचित्र भी शामिल किया जा सकता है।

खंड 2 : विपदा जोखिम तथा असुरक्षितता आकलन

क. गैर–संरचनात्मक आकलन *(इस आकलन को व्यावहारिक रूप में सभी अध्यापकों तथा चुने गए विद्यार्थियों द्वारा एक समूह अभ्यास में किया जा सकता है)*।
ख. संरचनात्मक आकलन (इसको किसी सिविल इंजीनियर, लाइसेंस–प्राप्त भवन (बिल्डिंग) सर्वेक्षक द्वारा किया जाना है)।
ग. विद्यालय के परिसर के बाहर विपदाओं को पहचानना (सड़क सुरक्षा, औद्योगिक विपदा, रासायनिक विपदा, खुले नालों का ऊपर तक भर जाना आदि)।
घ. उन आपदाओं/दुर्घटनाओं जिन्होंने विद्यालयों को प्रभावित किया, का डेटाबेस।
ङ. विद्यालय परिसर के भीतर स्थित असुरक्षित स्थानों की पहचान करना।
च. प्रशमन के लिए मुख्य निष्कर्षों और कार्यों के निर्धारण संबंधी विवरण का सार।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

योजना के इस खंड में सारा ध्यान संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक तत्वों के कारण उत्पन्न हुए संभावित जोखिमों तथा विद्यालय की बिल्डिंग के अन्दर स्थित विभिन्न असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने पर दिया जाएगा।

विद्यालय की बिल्डिंग में गैर–संरचनात्मक तथा संरचनात्मक कमियों को ढूंढने के लिए, विद्यालय प्रशासन (शारीरिक शिक्षा अध्यापक सहित), निकटतम दमकल केंद्र (फायर स्टेशन) से अधिकारी/सिविल डिफेंस पोस्ट वार्डन, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल/नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (डॉक्टर/नर्स/स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता), निकटतम पुलिस थाने से अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), एसएसए से इंजीनियर, नगर निगम/जिला परिषद के सदस्यों के साथ एक समिति गठित की जा सकती है जो बिल्डिंग में गैर–संरचनात्मक तथा संरचनात्मक कमियों को ढूंढने में मदद करेंगे। इसी प्रकार यह